(16)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 32 / 2018 - 206

प्रेषक,

राकेश कुमार भा0व0से0
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक– 24/02/2021

विषय – जमुई जिलान्तर्गत NH-333 कोरवाटोला–बामदा–विशनपुर झारखंड सीमा तक (115.00–141.050 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 23.45 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/31492/2018/2997 दिनांक 12.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर के पत्रांक 755 (अनु०) दिनांक 19.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है–

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 12.03.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition ..	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 23.45 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 1,46,79,700/– (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख उनासी हजार सात सौ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
	Note: Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।

3	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण की कुल राशि रू० 1,06,44,351/– (रूपये एक करोड़ छः लाख चौवालीस हजार तीन सौ एकावन) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
4	The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation, which is equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made. In case of public utitity project of the Government the penalty shall be 20% of the penalty proposed above.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Penal NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल राशि रू० 32,88,253/– (रूपये बत्तीस लाख अठासी हजार दौ सौ तिरपन) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
5	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV, CA एवं Penal NPV मद की कुल राशि रू0 2,86,12,304/– (रूपये दो करोड़ छियासी लाख बारह हजार तीन सौ चार) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No.P19041830477169 दिनांक 16.04.2019 एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
6 a	Felling of trees as required should be done under the supervision of the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के Supervision में आवश्यकतानुसार कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
b	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।
c	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़ें आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।

a	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
b	The Usre Agency shall provide LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas for collection of firewood for their use.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूर एवं Working staff को LPG सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
8	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
9	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
10	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provision of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय all acts, Rules, Regulation and Guidelines का पालन किया जायेगा।
11	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 23.45 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

(158)

ज्ञापांक– व.सं./32/2018-206 दिनांक– 24/02/2021

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

24.2.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।